उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 3050–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक : 25 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 08–06–2012 द्वारा चयन वर्ष 2003–04, वर्ष 2004–05 तथा वर्ष 2005–2006 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों का सम्यक विचारोपरान्त निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :–

(क) सर्वश्री देव कान्त, वीरेन्द्र कुमार, प्रभात कटियार, राजीव कुमार, विकास सिंह, संजीव कुमार यादव, श्याम जी मिश्रा, अमिताभ शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार अवस्थी, मो0 अबूजर, रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आशीष कुमार कुरील, पुष्पराज सिंह, अनिल कुमार यादव, दीपक कुमार तथा शशि कान्त रंजन, सहायक अभियन्ताओं ने अपनी आपत्तियों में प्रमुख रूप से यह अभिकथित किया है कि निगम के का0ज्ञा0सं0: 2666–मा0सं0–01/विउनिलि/2005–20–मा0सं0–01/2005 दिनाक 26.11.2005 के संलग्नक–2 द्वारा घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नियुक्ति वर्ष 2003–2004 उल्लिखित है। लेकिन कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228–मा0सं0–01/विउनिलि/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 08–06–2012 द्वारा घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका चयन वर्ष 2003–2004 के स्थान पर 2004–2005 कर दिया गया है तथा वर्ष 2005 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए अभियन्ताओं को चक्रानुक्रम में रखा गया है। यह कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है, क्योंकि उनकी नियुक्ति आदेश सं0: 625/मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2003 दिनांक 28–04–2003 द्वारा की गई थी। एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने संविलीनीकरण परीक्षा ससमय दिनांक 16–06–2004 को उत्तीर्ण कर ली थी, जिसका परीक्षाफल निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा ने अपने पत्र दिनांक 16–06–2004 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित कर दिया था। लेकिन मुख्यालय द्वारा विलम्ब से निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप सं0: 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त करने से उनका चयन वर्ष 2004–2005 माना जा रहा है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम अधिकारी एसोसियेशन द्वारा नियुक्ति आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से करने के स्थान पर जून, 2004 से प्रभावी करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन निरन्तर प्रेषित किये गये, लेकिन निगम ने कोई न्याय संगत कार्यवाही नहीं की। इन अधिकारियों ने अपना चयन वर्ष 2004–2005 के स्थान पर 2003–2004 करते हुए अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची घोषित करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0: 2666–मा0सं0–01/विउनिलि/2005–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 26.11.2005 के संलग्नक–2 द्वारा घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में यह स्पष्टतया अंकित नहीं है कि प्रत्यावेदनकर्ता चयन वर्ष 2003–2004 में (अर्थात दिनांक 01–07–2003 से 30–06–2004 के मध्य) नियुक्त हुए। उ0प्र0 अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 के संगत प्राविधानों के अनुसार सेवा संवर्ग में नियुक्ति सहायक अभियन्ता पद पर की जाती है। यह एक तथ्य है कि उक्त आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गई थी। इस प्रकार उनकी नियुक्ति का आदेश चयन वर्ष 2004–2005 (दिनांक 01–07–2004 से 30–06–2005 के मध्य) होने के कारण उन्हें चयन वर्ष 2004–2005 में नियुक्त माने जाने में कोई त्रुटि नहीं है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवकों की ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम 8–(3) के अनुसार जहाँ किसी एक चयन वर्ष में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायें, वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान

पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। तदनुसार दिनांक 01–07–2004 से दिनांक 30–06–2005 की अवधि में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के नाम प्रत्यावेदनकर्ताओं के नाम के साथ चक्रानुक्रम में रखना नियमानुसार है। आपत्तिकर्ताओं के तर्क बलहीन एवं अस्वीकार्य हैं।

(ख) सर्वश्री योगेन्द्र मौर्य, विजय कुमार तिवारी, सन्तोष कुमार, अजय सिंह कटियार, सुजीत कुमार सिंह, अवधेश सिंह, संदीप कुमार रजक, संजय कदम, प्रवीण कुमार, अजय कुमार उपाध्याय, विजय कुमार दिनकर, मनोज कुमार श्रीवास्तव, आलोक त्रिपाठी, पवन कुमार यादव, धर्मवीर सिंह, जितेन्द्र कुमार सरसैया, पुनीत रिछारिया, अशोक कुमार, मनोज कुमार वर्मा, ज्ञानेश कुमार शर्मा, दिलीप कुमार जैन, हरीश कुमार, प्रवीण वर्मा, नीरज कुमार तिवारी, धीरेन्द्र नागपाल, बृजेश कुमार सिंह, संजय सिंह, रामायण सिंह, नेमी चन्द्र, राजेन्द्र प्रसाद यादव, भरत यादव, प्रेम मोहन सिंह, भेद कान्त, सन्तोष कुमार गुप्ता, शिव रतन तथा जय नारायण, सहायक अभियन्ताओं ने अपनी आपत्तियों में यह कहा है कि उनकी नियुक्ति आदेश सं0: 625/मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2003 दिनांक 28–04–2003 द्वारा की गई थी। एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने संविलीनीकरण परीक्षा ससमय दिनांक 16–06–2004 को उत्तीर्ण कर ली थी। इस प्रकार सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर इनका नियुक्ति वर्ष 2002–2003 है तथा सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति वर्ष 2003–2004 है, लेकिन प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में वर्ष 2004–05 अंकित किया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इन आपत्तिकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि इनका चयन वर्ष 2004–05 माना जाना स्वयं निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 1429–मा0सं0–03/उनिलि/2010 दिनांक 24.05.2012 के अनुसारिता में नहीं है, क्योंकि इस आदेश में यह उल्लेख है कि उत्पादन निगम लि0 का कार्य आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी श्रेष्ठता सूची के अनुसार जारी करने व चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती तथा नियुक्ति की तिथि के क्रम में वरीयता निर्धारण करने का है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि उनके चयन वर्ष में भ्रम का मूल कारण निगम का कार्यालय ज्ञाप सं0 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 है, क्योंकि इसमें सहायक अभियन्ता पद पर स्थानापन्न होने की क्रियान्वयन तिथि नहीं दी गयी है। जिसके फलस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप की निर्गमन तिथि के आधार पर इसे चयन वर्ष 2004–05 मान लिया गया है, जो कि गलत है। अग्रेतर उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2004 में यह उल्लिखित है कि उनकी यह स्थानापन्न नियुक्ति प्रशिक्षणोंपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर है। उन्होंने अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा दिनांक 16.06.2004 को उत्तीर्ण कर ली थी। अतः उनका चयन वर्ष स्वतः 2003–04 होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अन्य वर्ष में नियुक्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षणोंपरान्त कार्यालय ज्ञापन सं0 1729–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक 30.06.2009 एवं सं0 536–मा0सं0–01/विउनिलि/2011 दिनांक 23.02.2011 द्वारा क्रमशः दिनांक 01.06.2009 एवं 01.10.2010 से सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया गया है। समानता का व्यवहार करते हुए उनका भी चयन वर्ष 2003–04 माना जाय। इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निगम के आदेश सं0: 1048–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012 दिनांक 17.05.2012 के विरोधाभासी है।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति यह है कि निगम में सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) की ज्येष्ठता उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 तथा सपठित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। अतः इस बात का बिना लिहाज किये कि अमुक व्यक्ति कब सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) नियुक्त हुआ, कब प्रशिक्षणोंपरान्त संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण की, सहायक अभियन्ता पद पर उसकी ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में उसकी मेरिट के अनुसार किया जाना होता है। यह एक स्वीकार किया जा चुका तथ्य है कि आपत्तिकर्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप सं0: 3131–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2004 दिनांक 06–07–2004 द्वारा हुई थी। अतः उनकी वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष 2004–2005 मानकर किया जायेगा। आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने प्रत्यावेदन में आदेश सं0: 1048–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012 दिनांक 17.05.2012 का हवाला देना असंगत है, क्योंकि यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा परिणामी ज्येष्ठता सम्बन्धी नियम 8–क तथा पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी आरक्षण अधिनियम की धारा 3(7) को अवैध करार दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में है। प्रश्नगत् आपत्तियाँ बलहीन एवं अस्वीकार्य हैं।

(ग) श्री आशीष गोस्वामी, श्रीमती रमा श्रीवास्तव एवं श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ताओं ने अपनी आपत्तियों में यह प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2004 तथा 2005 में निगम द्वारा क्रमशः 118 तथा 23 सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति सीधी भर्ती (50.33%) कोटा के अन्तर्गत की गयी। इन नियुक्तियों के सापेक्ष अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति वर्ष 2006 में की गयी। वर्ष 2004 में सीधी भर्ती से भरे गये 141 सहायक अभियन्ताओं के सापेक्ष उसी वर्ष 12 पदों पर बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 डिग्री धारक अवर अभियन्ताओं के 8.33% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नतियॉं होनी चाहिए थी तथा वरिष्ठता सूची में नाम इस क्रमावली में होने चाहिए कि पहला, तीसरा, पॉंचवॉं नाम 40% पदोन्नति कोटे के अभ्यर्थी का, नवॉं नाम 8.33% पदोन्नति कोटे के अभ्यर्थी का तथा शेष दूसरा, चौथा, छठवॉं, आठवॉं व दसवॉं नाम सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का हो। प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची इस क्रमावली में न बनाये जाने की वजह से दोषपूर्ण है। इसी प्रकार श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता ने वरिष्ठता सूची में 40% पदोन्नति कोटे तथा 8.33% कोटे के अन्तर्गत नाम 5 : 1 में रखने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रकथन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि विज्ञप्ति सं0: 2–विनियम–23/पाकालि–2002–5–विनियम/88 दिनांक 2 जनवरी, 2002 द्वारा यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 के अनुसार सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद विभिन्न निर्दिष्ट वर्गों (यथा सीधी भर्ती कोटा, सामान्य पदोन्नति कोटा, डिग्रीधारी अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति कोटा आदि) में विभाजित रहेंगे। प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे, उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी। अतः आपत्तिकर्ताओं का यह तर्क कि उनकी पदोन्नति वर्ष 2004 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के सापेक्ष की गई थी, सही नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 30–06–2006 तक 8.33 प्रतिशत डिग्रीधारी अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति कोटे में 48 पद रिक्त थे। इन पदों के विरूद्ध चयन दिनांक 21–04–2006 को सम्पन्न हुआ, जिसमें आपत्तिकर्ताओं को सहायक अभियन्ता पद पर चयनित किया गया तथा इनके पदोन्नति आदेश, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29–04–2006 द्वारा निर्गत हुए। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में समिति की संस्तुति अनुसार उपरोक्त को आधार मानते हुए नाम व्यवस्थित किये गये हैं। समर्थनीय नियमों/आदेशों के अभाव में, पदोन्नति कोटे के विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के नाम वरिष्ठता सूची में आपत्तिकर्ताओं द्वारा सुझाये गये अनुपात/क्रम में व्यवस्थित करने की मॉंग अस्वीकार्य है।

(घ) श्री सिद्धार्थ, सहायक अभियन्ता ने अपने प्रत्यावेदन में यह तर्क दिया है कि प्रश्नगत् पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में मेकैनिकल इन्जीनियरिंग ब्रान्च के अधिकांश सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। तत्पश्चात् इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स ब्रान्च के अभियन्ताओं के नाम रखे गये हैं। चूँकि हर ब्रान्च के प्रश्न पत्र अलग–अलग थे, अतः ज्येष्ठता सूची बनाते समय तीनों ब्रान्च के सहायक अभियन्ताओं के प्राप्तांकों की स्केलिंग करने के पश्चात् ज्येष्ठता सूची बनायी जानी चाहिए थी।

श्री सिद्धार्थ के उपरोक्त तर्क के सम्बन्ध में सूचित करना है कि संगत अवधि में मेरिट लिस्ट/योग्यता सूची/वरिष्ठता सूची प्राप्तांकों की स्केलिंग करके बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं था। अतः उनका तर्क संगत नियम/आदेशों से पोषित न होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

(ङ.) श्री राम वीर सिंह, सहायक अभियन्ता ने अपनी आपत्ति में यह प्रकथित किया है कि निगम द्वारा विद्युत सेवा आयोग की संस्तुति पर सर्वप्रथम नियुक्ति पत्र सं0: 625 दिनांक 28–04–2003 द्वारा कतिपय सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को नियुक्त किया गया, जिनकी ज्वाइनिंग की अन्तिम तिथि 02–06–2003 थी। इस तिथि तक कुछ अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर निगम ने पुनः नियुक्ति पत्र सं0: 2696 दिनांक 03–12–2003 द्वारा कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की, जिनकी ज्वाइनिंग की अन्तिम तिथि 05–01–2004 थी। जब उक्त समय सीमा में कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनके (श्री राम वीर सिंह के) नियुक्ति के आदेश पत्र सं0: 4004 दिनांक 09–09–2004 द्वारा जारी हुए, जिसमें ज्वाइनिंग की अन्तिम तिथि 25–10–2004 थी। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर ज्वाइन कर लिया था। निगम द्वारा नियुक्ति पत्र देने में देरी करने से ही उनकी ज्वाइनिंग बाद को हुई, अतः उन्हें विद्युत सेवा आयोग की मेरिट के आधार पर वरिष्ठता दी जानी चाहिए, न कि नियुक्ति पत्र की तिथि के आधार पर।

श्री राम वीर सिंह के उपरोक्त प्रकथन के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि निगमीय आवश्यकतानुसार उनकी नियुक्ति द्वितीय प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र सं0: 4004 दिनांक 09–09–2004 द्वारा सहायक

अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर हुई थी। अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उन्हें कार्यालय ज्ञाप सं0: 2376–मा0सं0–01 दिनांक 22–10–2005 द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार वह चयन वर्ष 2005–2006 में नियुक्त हुए। संगत नियमों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में मेरिट के आधार पर होता है, अतः प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सही स्थान पर है।

(च) श्री दिनेश कुमार शर्मा तथा श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, सहायक अभियन्ताओं ने अपने प्रत्यावेदन में यह अभिकथित किया है कि वरिष्ठता सूची वर्ष 2005–2006 तक सीमित न रखकर इसे वर्ष 2011–2012 तक विस्तारित किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार उन्होंने श्री बाल मुकुन्द यादव एवं श्री सुशील सिंह से पहले ए0एम0आई0ई0 की डिग्री प्राप्त की थी तथा उन्होंने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के समकक्ष वरिष्ठता की मॉग की थी। इस मॉग पर अनिर्णय की स्थिति में उन्होंने (श्री के0सी0 पाण्डेय ने) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका सं0: 31216/2008 दायर की है, जिसकी सुनवाई अन्तिम दौर में है। अतः या तो उन्हें श्री बाल मुकुन्द यादव एवं श्री सुशील सिंह के समकक्ष वरिष्ठता में रखा जाय, या वरिष्ठता सूची में यह अंकित कर दिया जाय कि यह सूची याचिका सं0: 31216/2008 में मा0 न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि श्री बाल मुकुन्द तथा श्री सुशील सिंह, सहायक अभियन्ता, आदेश सं0: 195/ई0एम0–07/पीसीएल/05 दिनांक 31–01–2005 द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत हुए थे, जब कि श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय व श्री दिनेश कुमार शर्मा निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1453–मा0सं0–01/विउनिलि/2008 दिनांक 11–06–2008 द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए थे। अतः प्रश्नगत् अनन्तिम वरिष्ठता सूची में इनका नाम सम्मिलित करना अथवा उक्त वरिष्ठता सूची याचिका सं0: 31216/2008 के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन अंकित किया जाना अनाहूत (unwarranted) है।

2– चयन वर्ष 2005–2006 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियॉ परीक्षणाधीन हैं तथा इनका निस्तारण यथा समय अलग से किया जायेगा।

धीरज साहू
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3050(।)–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :–

1– मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (स्तर–।)/(स्तर–।।), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–03)/(संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– सम्बन्धित अधिकारी/कट फाइल।

आज्ञा से,
(एच0प्र0 वर्मा)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01)